(222)

न्यायालय में राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा

निगरानी 70-III-15

01
01.01.15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

RS. 20/-

साधुराम थावानी पिता स्व. श्री रामन दास थावानी (सिंधी) उम्र 54 वर्ष निवासी कोतमा जिला– अनूपपुर (म.प्र.)

..........निगरानीकर्ता

बनाम

01. मध्य प्रदेश शासन जरिये तहसीलदार कोतमा
02. सुरेश चन्द अग्रवाल, उम्र 60 वर्ष अध्यक्ष अग्रवाल समाज कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

................गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. संजय शर्मा ....एड
द्वारा आज दिनांक 01-1-2015 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट, रीवा

निगरानी अंतर्गतधारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरूद्ध तहसीलदार कोतमा, जिला अनूपपुर के सीमाकंन पुष्टि एवं नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक 12.11.2014 रा.प्र.क्र. 01/अ–12/13–14

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय है:–

मामले का संक्षिप्त विवरण व जानकारी:-

क्रमांक 4239

01. यह कि निगरानीकर्ता क्र. 02 सुरेश चन्द, अग्रवाल समाज कोतमा का अध्यक्ष है उसने ग्राम कोतमा की आराजी खसरा नं. 1213/3/1 रकवा 0.451 हे. भूमि पूर्व भूमिस्वामी से क्रय करने के उपरान्त दिनांक 07.02.2014 को राजस्व निरीक्षक कोतमा के समक्ष धारा 129 म.प्र.भू.रा. संहिता के तहत सीमाकंन का आवेदन दिया था उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक कोतमा के कथन के अनुसार दिनांक 28.06.2014 को सरहद्दी कृषको को सूचना दे कर उनकी उपस्थिति मे सीमाकंन कर प्रश्नाधीन भूमि के हर कोण व मोड मे सीमा चिन्ह बना दिये गये तथा प्रश्नाधीन भूमि का अंश रकवा 9.5 x 86 मीटर भूमि रामनदास पिता छंगामल के बाउन्ड्रीबाल के अंदर कब्जे में है और 9 डिस्मिल भूमि अनिल जैन के कब्जे मे है मौके मे धरमदास ने आपत्ति प्रस्तुत की का प्रतिवेदन सीमाकंन की पुष्टि के लिए दिनांक 07.04.2014 को दिया गया है।

क्रमशः.........2पर

Sadhuram

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0R.70–III/15 जिला–अनूपपुर

साधूराम थावानी/शासन (म0प्र0)

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	